कार्यालय जिला पंचायत, जिला इन्दौर

क्रमांक / 5280 /स्वीप / वि.सं.निर्वा. / 23–24 इन्दौर, दिनांक : 26-10-2023

प्रति,

रजिस्ट्रार, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

विषयः— इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के संबंध मे ।

सन्दर्भः— 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3585 दिनांक 13.07.23
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 05 / 09 / स्वीप / 4072 दिनांक 26.06.23
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर का पत्र क्रमांक 888 दिनांक 07.07.23

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि निर्वाचन प्रक्रिया में स्वीप गतिविधियों के संचालन के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 05 / 09 / स्वीप / 9781 दिनांक 17.10.23 के द्वारा जिले के प्रत्येक कालेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के गठन किये जाने बाबद् प्रतिवेदन चाहा गया है । सन्दर्भित पत्रो अनुसार प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय माता जीजा बाई पी.जी. कॉलेज को जिले के महाविद्यालयों में ईएलसी गठन की जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कापी में चाही गई थी जो संबंधित महाविद्यालय द्वारा आज दिनांक तक उपलब्ध नही कराई गई है । संबंधित नोड़ल अधिकारी से सम्पर्क किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि जिले के शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय कुल 152 महाविद्यालयों में से मात्र 35 महाविद्यालयों में ईएलसी का गठन किया गया है । संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि प्रायवेट कॉलेज उनके निर्देशो पर ध्यान नही देते है । जानकारी प्रस्तुत नही करने पर अग्रणी महाविद्यालय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4435 दिनांक 23.08.23 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था । किन्तु फिर भी ईएलसी गठन की प्रगति अप्राप्त है ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 05 / 09 / स्वीप / 9781 दिनांक 17.10.23 के द्वारा जिले के प्रत्येक कालेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के गठन किये जाने बाबद् प्रतिवेदन दिनांक 22.10.23 तक चाहा गया है । उक्त स्थिति में अनुरोध है कि स्वीप गतिविधियों के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रत्येक शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय महाविद्यालयों में ईएलसी गठन किया जाना आवश्यक है । अतः कृपया आपके स्तर से जिला इन्दौर के उक्त सभी महाविद्यालयों को उनके कॉलेज में ईएलसी का गठन अविलंब किया जाकर निम्न प्रारूप में ईएलसी गठन की जानकारी अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से दिनांक 27.10.2023 तक जिला पंचायत के मेल आईडी ceozpind@gov.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे । ईएलसी गठन की जानकारी का प्रारूप

शासकीय / अशासकीय / अर्द्ध शासकीय महाविद्यालयों का नाम .	नोडल अधिकारी का नाम (संस्था के एक या दो प्रोफेसर ईएलसी संचालन / समन्वयक के लिये नामांकित करना है)	नोडल अधिकारी का मो.नं.	सदस्य का नाम (प्रत्येक कक्षा से एक या दो विद्यार्थी ईएलसी सदस्य के रूप में नामांकित करना है)

निर्वाचन कार्य में शिथिलता करने एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन नही करने वाली संस्था का उक्त त्रुटि के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु भी साद्र अनुरोध है ।

नोडल अधिकारी स्वीप एवं
अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत इन्दौर

पृ.क्रमांक / 5281 / स्वीप / वि.सं.निर्वा. / 23–24 इन्दौर, दिनांक : 26-10-2023

प्रतिलिपि :—

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
2. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय माता जीजा बाई पी.जी. कॉलेज, इन्दौर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि सभी महाविद्यालयों के ईएलसी गठन की जानकारी दिनांक 27.10.2023 तक प्रेषित करना कृपया सुनिश्चित करे ।

नोडल अधिकारी स्वीप एवं
अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत इन्दौर

\\70=p\D\MGNREGA 2023-24\sveep\Davv Lett- 26-10-23.doc